विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

के लिये

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना

तथा

पुनर्वास नीति एवं स्थानीय जनजाति प्रबंधन संरचना

कार्यकारी संक्षेपिका

05 अक्तूबर, 2016

अंतिम

अंक एक

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

मध्य प्रदेश, भारत देश में भौगालिक क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय, जनसंख्या के मान से पंचम तथा नगरीकरण की दृष्टि से आठवें क्रम पर है। यद्यपि गत दशक में मध्य प्रदेश में नगरीकरण की दर ग्रामीण विकास दर से अधिक थी तथापि राष्ट्रीय नगरीकरण की तुलना में कम है तथा संभावना है कि आगामी 15 वर्षों में ये समान स्तर पर होंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या 201 लाख है जोकि राज्य की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत है तथा 476 शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है।

नगरीय अधोसंरचना विकास राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है। राज्य शासन द्वारा ज़ारी विज़न 2018 में जल प्रदाय को प्रमुखता दी गई है तथा सार्वभौमिक उपलब्धता एवं सेवा उन्नयन के लिये सुधार कार्य इसके मुख्य उद्देश्य हैं। विज़न 2018 के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं नगरीय अधोसंरचना उन्नयन के लिये राज्य शासन द्वारा अनेक कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं: स्वयं तथा भारत शासन के वित्तपोषण से, बाह्य वित्त पोषण संस्थाओं यथा अंतर्राष्टीय विकास विभाग, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से।

विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्यों में नगरीय अधोसंरचना विकास एवं वित्त पोषण के लिये नगरीय निकायों की सहायता करने वाले राज्य स्तरीय संस्थानों का क्षमतावर्धन सम्मिलित है। उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रोजेक्ट में दो घटकों को चिन्हित किया गया है: 1. संस्थागत विकास, एवं 2. शहरी निवेश। घटक क्रं 2 में नगरीय अधोसंरचना विकास उपघटक सम्मिलित है जिसमें 25 नगरीय निकायों द्वारा योजनायें लेने के लिये रुचि प्रदर्शित की गई है। इन योजनाओं में 7 जल प्रदाय एवं 18 सीवरेज योजनायें सम्मिलित हैं।

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों की संवहनियता सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना तैयार किया गया है ताकि भारत सरकार एवं राज्य शासन के पर्यावरण एवं सामाजिक विनियमों तथा विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों का पालन सुनिश्चित हो सके। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उप प्रोजेक्ट स्तर पर पर्यावरण एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकलन, तथा नियोजन, प्रारुप रचना, निर्माण एवं संचालन चरणों के दौरान प्रबंधन के लिये यह प्रबंधन संरचना मार्गदर्शक होगी। प्रबंधन संरचना पर्यावरण एवं समाज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को चिन्हित करने में सहायक होगी तथा साथ ही पर्यावरण एवं सामाजिक आंकलन के लिये अनुगमित किये जाने वाली नीतियों एवं पद्धतियों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन के साथ साथ विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक होगी।

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की पर्यावरण एवं सामाजिक नीति

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जायेगा। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की नीति है कि उसके द्वारा क्रियान्वित की

जाने वाली सभी योजनाओं में पर्यावरणीय संवहनीयता एवं सामाजिक सहभागिता संबंधी सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया जाये।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी जोकि राज्य शासन का उपक्रम है, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान समक्ष आने वाली पर्यावरण एवं सामाजिक चुनौतियों को चिन्हित करने एवं उनके सर्वमान्य हल के लिये कटिबद्ध है। इसके लिये प्रोजेक्ट के मूल विषयों एवं घटक विशेष संबंधी विषयों को समझना आवश्यक है। इसके लिये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा निष्पक्ष सलाहकार के माध्यम से अध्ययन कराया गया ताकि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों को समझा जा सके। प्रथम वर्ष के 3 उप प्रोजेक्ट का विस्तृत पर्यावरणीय एवं सामाजिक आंकलन तथा सभी 25 नगरों का प्राथमिक अध्ययन किया गया। विश्लेषण के आधार पर एक ऐसी **''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना''** तैयार की गई है जिसके माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य शासन के पर्यावरण एवं सामाजिक विनियमों तथा विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों का पालन सुनिश्चित हो सके।

''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना'' दो अंकों में है: प्रथम अंक में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा अंगीकृत की जाने वाली नीतियां, आंकलन पद्धति एवं कार्यपद्धति दिये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्राजेक्ट की समस्त गतिविधियां **''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना''** के आधार पर विकसित एवं क्रियान्वित हों तथा संबद्ध चुनौतियों के प्रति पर्याप्त सुरक्षित हों। द्वितीय अंक में सभी उप प्रोजेक्ट नगरों की आधारभूत प्रोफाइल एवं चिन्हित उप प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग चेकलिस्ट दी गई है। **''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना''** का एक उद्देश्य समस्त सहभागियों को नगरीय अधोसंरचना के विभिन्न चरणों में समक्ष आ सकने वाले संभावित पर्यावरण एवं सामाजिक चुनौतियों के आंकलन एवं उनके प्रबंधन की जानकारी देना भी है।

पर्यावरण विनियमन संरचना

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वित्त पोषित समस्त योजनाओं पर राष्ट्रीय एवं राज्य शासन के पर्यावरण नियम एवं विश्व बैंक की ऑपरेशनल नीतियों लागू होंगीं। लागू नियमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं: भारत शासन की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; तथा विश्व बैंक से ऑपरेशन पॉलिसी 4.01 पर्यावरणीय आंकलन; ऑपरेशन पॉलिसी 4.04 प्राकृतिक आवास एवं ऑपरेशन पॉलिसी 4.11 भौतिक सांस्कृतिक संसाधन।

उप प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय वर्गीकरण

नगरीय अधोसंरचना उन्नयन योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य नगरीय क्षेत्र में जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। तथापि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की प्रकृति एवं उनके कार्यस्थलों के आधार पर इन योजनाओं का पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव भी अवश्य होता है। उदाहरण के लिये, भूगत सीवरेज योजना में शोधित निर्गमित पानी एवं स्लज़ निस्तार का प्रभाव पर्यावरण पर हो सकता है, वहीं दूसरी ओर जल प्रदाय योजना में प्राकृतिक जल स्रोतों से जल निकासी का प्रभाव अनुप्रवाह की ओर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। अतः मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबद्ध संभावित विषयों तथा नगर विशेष के पर्यावरण प्रोफाइल को दृष्टिगत रखते हुये उप प्रोजेक्ट को संभावित प्रभावों की गंभीरता एवं वांछित विनियमों के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हैः E_a, E_b एवं E_c ।

E_a: ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ना संभावित हो तथा जिसके लिये डी पी आर सलाहकार के अतिरिक्त किया निष्पक्ष संस्था द्वारा प्रोजेक्ट विशेष संबंधी पर्यावरणीय आंकलन आवश्यक हो।

E_b: ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पर्यावरण पर मध्यम प्रभाव पड़ना संभावित हो तथा जिसके लिये डी पी आर में ही प्रोजेक्ट विशेष संबंधी पर्यावरणीय आंकलन किया जा सके।

E_c: ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पर्यावरण पर न्यून प्रभाव पड़ना संभावित हो तथा जिसके लिये सामान्य पर्यावरण प्रबंधन योजना पर्याप्त हो।

जल प्रदाय एवं सीवरेज योजनाओं के लिये परिशिष्ट 3 में पर्यावरण प्रबंधन योजना का मार्गदर्शी प्रतिदर्श दिया गया है जोकि योजना विशेष के पर्यावरणीय आंकलन के आधार पर पुनरीक्षित किया जा सकता है।

उप प्रोजेक्ट का सामाजिक वर्गीकरण

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबद्ध संभावित विषयों तथा नगर विशेष के सामाजिक प्रोफाइल को दृष्टिगत रखते हुये उप प्रोजेक्ट को संभावित प्रभावों की गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हैः S_a, S_b एवं S_c । विभिन्न प्रभावित श्रेणियों तथा संभावित प्रभाव यथा भूमि, आवास, सामुदायिक संपत्ति आदि की क्षति; संपत्तिधारक, किरायेदार एवं लीज़धारक एवं गैर संपत्तिधारकों पर प्रभाव; आजीविका की क्षति; अतिसंवेदनशील परिवारों पर प्रभाव एवं अन्य प्रभाव, को कम करने के लिये उपाय ''एन्टाइटल मैट्रिक्स'' तैयार की गई है। यह ''एन्टाइटल मैट्रिक्स'' आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 एवं विश्व बैंक की ओपी 4.12 के अनुसरण में है तथा आवश्यकतानुसार पुनर्वास कार्ययोजना तैयार की जानी होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सामाजिक एवं पर्यावरणीय वर्गीकरण केवल मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लागू है तथा इसे विश्व बैंक के ओपी 4.01 में उल्लेखित वर्गीकरण से पृथक माना जाये। विश्व बैंक के सेफगार्ड नीति के अनुसार मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ''ए'' श्रेणी दी गई है।

पुनर्वास नीति

मुख्य सिद्धांत

सामाजिक प्रबंधन संरचना का मूल उद्देश्य ऐसे उपाय सुनिश्चित करना है जिनसे योजना क्रियान्वयन के कारण प्रभावित होने वाले जन सामान्य पर कुप्रभाव न्यूनतम हों। **सामाजिक प्रबंधन संरचना** के अनुसार ऐसे विकल्पों का अन्वेषण आवश्यक होगा जिनसे अनिच्छा से होने वाले पुनर्वास से बचा जा सके अथवा उसे न्यूनतम किया जा सके। **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** विश्व बैंक की '' अनैच्छिक पुनर्वास नीति'' एवं भारत सरकार के ''भू अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में न्यायोचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' के मध्य सेतु भी है। आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों जिन्हें अल्प करने के उपाय सम्मिलित किये गये हैं, की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

1. भूमि अथवा/एवं आस्तियों की क्षति
2. आवास अथवा आवासीय भूमि की क्षति
3. आजीविका अथवा आजीविका संसाधनों की हानि
4. आजीविका संसाधनों, आवास आदि तक पहुंच न पाना
5. सामूहिक हानि यथा सामुदायिक संपत्ति/संसाधन एवं अन्य

विनियम

सामाजिक प्रबंधन संरचना से संबंधित देश एवं प्रदेश स्तरीय नियम निम्नानुसार हैं:

भू अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में न्यायोचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियम) अधिनियम 2009

मध्य प्रदेश राज्य भूमि पट्टा नीति

मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधारी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की स्वीकृति) अधिनियम 2006

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

अनैच्छिक पुनर्वास के संबंध में विश्व बैंक की ऑपरेशनल पॉलिसी 4.12

स्थानीय जनजाति के संबंध में विश्व बैंक की ऑपरेशनल पॉलिसी 4.10

सूचना एवं प्रकाशन संबंधी विश्व बैंक की नीति

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना संप्रयोग

पुनर्वास नीति एवं स्थानीय जनजाति नियोजन संरचना सहित पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सभी घटकों पर लागू होगा जिसमें समस्त उप प्रोजेक्ट के संचालन संधारण सहित तकनीकी सहायता एवं क्रियान्वयन सम्मिलित हैं।

उप प्रोजेक्ट तैयार करना

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना के अनुसरण में पर्यावरण एवं सामाजिक आंकलन प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा जिसे मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् सहमत नीति एवं प्रक्रिया के आधार पर विश्व बैंक की अनापत्ति हेतु प्रेषित किया जायेगा। E_a एवं S_a वर्ग के उप प्रोजेक्ट के लिये ''टर्म्स आ्फ रेफरेन्स'' विश्व बैंक को भेजी जाकर अनापत्ति ली जायेगी। पर्यावरण एवं सामाजिक आंकलन एवं प्रबंधन योजना तथा पुनर्वास कार्ययोजना की अंतिम संस्करण इंगलिश एवं हिन्दी की गैर तकनीकी संक्षेपिका के साथ संबंधित नगरीय निकाय, नगरीय विकास एवं आवास विभाग/संबंधित विभाग की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी तथा ऐसे स्थानों पर जहां स्थानीय निवासियों को सुलभ हो सके, उपलब्ध कराई जायेगी।

उप प्रोजेक्ट अनुमोदन

उप प्रोजेक्ट अनुमोदन के लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः

अ. उप प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय एवं सामाजिक पक्षों की समीक्षा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट द्वारा की जायेगी तथा उप प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय एवं सामाजिक वर्गीकरण **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के अनुसरण में किया जायेगा।

ब. तत्पश्चात् प्रत्येक उप प्रोजेक्ट के लिये **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा पुनर्वास कार्ययोजना अथवा लघु पुनर्वास कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

स. ठेकेदार के साथ अनुबंध करने के पूर्व मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट, संबंधित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेज़र के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** में उल्लेखित अनुसार पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड की वांछनाओं की पूर्ति हो गई है।

द. मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी योजना के प्रत्येक चरण में **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** में उल्लेखित अनुसार पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट संपूर्ण प्रक्रिया का सतत् पर्यवेक्षण करेगी।

इ. मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, संबंधित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट द्वारा उप प्रोजेक्ट का स्थल निरीक्षण कर तैयार की गई पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड के वास्तविक क्रियान्वयन प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण एवं सामाजिक घटकों का पर्यवेक्षण करेगी।

फ. पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा पुनर्वास कार्ययोजना अथवा लघु पुनर्वास कार्ययोजना का वार्षिक अंकेक्षण स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन संबंधित उप प्रोजेक्ट तथा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसा लागू हो, में किया जायेगा।

संगठनात्मक ढांचा

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी क्रियान्वयन संस्था है। संबंधित नगरीय निकाय के लिये उप प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, प्राधिकृत प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट गठित की गई है जिसमें **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के क्रियान्वयन के लिये एक पर्यावरण यंत्री एवं एक सोशल एवं जेण्डर अधिकारी होंगें जिनकी भूमिका **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के संबंधित अंश में वर्णित है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड क्रियान्वयन सुनिश्चित, अधिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेगी। **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** अनुपालन एवं संबंधित प्रलेख/ मासिक प्रतिवेदन तैयार हों, इस कार्य के लिये प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट संबंधित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट तथा नगरीय निकाय के साथ समन्वय करेगी। सेफगार्ड के क्रियान्वयन के लिये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट में भी समर्पित पर्यावरण अधिकारी होगा। प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट एवं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट को प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट सलाहकार की संवायें उपलब्ध होंगी। प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट सलाहकार के दल में भी उपयुक्त योग्यता वाले एवं समर्पित पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ होंगे जो **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** अनुपालन एवं संबंधित प्रलेख/ मासिक प्रतिवेदन तैयार करने में सहायक होंगे। जिनकी भूमिका में संपूर्ण प्रक्रिया का सतत् पर्यवेक्षण करेगी।

क्षमता वर्धन/ प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, उप प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड एवं तकनीकी पक्षों के संदर्भ में सभी सहभागियों जिनमें ठेकेदार, नगरीय निकाय, प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट एवं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के कर्मी सम्मिलित हैं, के क्षमतावर्धन करने के लिये विचारशील है। तत्संदर्भ में नगरीय अधोसंरचना विकास के विभिन्न पक्षों में

अनुभवी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से वार्षिक ज़ागरुकता कार्यक्रम, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुभव सहभागिता कार्यक्रम आदि किया जाना प्रस्तावित है।

ऑरियेन्टेशन कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, क्रियान्वित किये जा चुके ससमान प्रोजेक्ट्स की विज़िट्स, कोर्स एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं सेमिनार/कार्यशाला आदि के माध्यम से मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के कर्मियों तथा पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञों का क्षमता वर्धन किया जाना भी प्रस्तावित है। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तकनीकी सहायता घटक के अंतर्गत आयोजित किये जायेंगे।

सहभागियों के साथ आयोजित कार्यशाला एवं प्रकाशन के परिणाम

विभिन्न चरणों में एवं विभिन्न स्तरों पर सहभागियों के साथ विचार विमर्श तथा केन्द्रित सामूहिक चर्चा के आधार पर **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 11 जुलाई 2016 को संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न सहभागियों की कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें प्रारुप **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना एवं पुनर्वास नीति, स्थानीय जनजाति नियोजन संरचना एवं खरगोन, बुरहानपुर एवं छिंदवाड़ा नगरों के उप प्रोजेक्ट का पर्यावरण एवं सामाजिक विश्लेषण** का प्रस्तुतिकरण किया गया एवं सहभागियों के विचार जाने गये। कार्यशाला में सहभागियों ने गैर संपत्ति धारकों के लिये किये गये प्रावधानों की प्रशंसा की तथा **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** से सहमति व्यक्त की।

सहभागियों के विचार जानने के उद्देश्य से प्रारुप **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना एवं पुनर्वास नीति, स्थानीय जनजाति नियोजन संरचना एवं खरगोन, बुरहानपुर एवं छिंदवाड़ा नगरों के उप प्रोजेक्ट का पर्यावरण एवं सामाजिक विश्लेषण** नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की वैबसाइट www.mpurban.gov.in तथा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की वैबसाइट www.mpudc.co.in पर अपलोड की गई है एवं संबंधित निकायों में रखी गई है।

राज्य स्तर पर भी संबंधित सहभागियों के साथ दिनांक 7 सितम्बर 2016 को प्रारुप **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** पर चर्चा की गई। विभिन्न स्तरों पर किये गये डिस्क्लोज़र एवं चर्चा के दौरान प्राप्त विचारों को समाहित करते हुये इंगलिश एवं हिन्दी में कार्यकारी संक्षेपिका के साथ अंतिम **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** का पुनः प्रकाशन किया गया है।